42–(08)–51–2022

पटना में दिनांक–17 जून, 2022 शुक्रवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

1. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2022–23 में डा० भीम राव अम्बेदकर आवासीय बालिका +2 उच्च विद्यालय, ग्राम पंचायत– जसमैती, प्रखण्ड–पंचरूखी, जिला–सिवान के भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० द्वारा अनुमोदित नक्शा एवं स्थूल प्राक्कलन के अनुसार ₹5100.00 लाख (इक्यावन करोड़ रू०) मात्र की दर से निर्माण कराने की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2022–23 में ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रू०) मात्र की व्यय की स्वीकृति के साथ ही आगामी वित्तीय वर्षों में प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में उपलब्ध राशि से व्यय की स्वीकृति एवं योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० से कराये जाने की स्वीकृति। — 1. स्वीकृत।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

2. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय–समय पर यथासंशोधित) तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत् केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के अन्तर्गत बजट उपबन्ध के आलोक में केन्द्रांश मद की राशि विमुक्त होने की प्रत्याशा में राज्यांश मद में कुल राशि ₹4000.00 लाख (चालीस करोड़ रूपया) मात्र की राशि की अग्रिम निकासी एवं व्यय की स्वीकृति एवं भारत सरकार के दिशा–निर्देश के आलोक में Single Nodal Agency (SNA) एवं Implementing Agencies (IAs) के बैंक खाते के माध्यम से व्यय करने की स्वीकृति। — 2. स्वीकृत।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

3. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2022–23 में डा० भीम राव अम्बेदकर आवासीय बालिका +2 उच्च विद्यालय, मुंगेर के भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० द्वारा अनुमोदित नक्शा एवं स्थूल प्राक्कलन के अनुसार अंचल–संग्रामपुर, मौजा–समदा थाना नं०–304 खाता नं०–135 खेसरा नं०–527 खाताधारी–गैरमजरूआ खास, किस्म–टीला भूमि रकवा–5.00 एकड़ भूमि पर ₹5100.00 लाख (इक्यावन करोड़ रू०) मात्र निर्माण कराने की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष– 2022–23 में ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रू०) मात्र की व्यय की स्वीकृति के साथ ही आगामी वित्तीय वर्षों में प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में उपलब्ध राशि से व्यय की स्वीकृति एवं योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० से कराये जाने की स्वीकृति। — 3. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4. कटिहार जिलान्तर्गत मनिहारी अंचल के विभिन्न मौजे के अन्तर्गत विभिन्न खाता एवं खेसरा के अन्तर्गत कुल रकबा 5.6285 हेक्टेयर गैरमजरूआ आम/खास भूमि (भूमि की विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) राष्ट्रीय राजमार्ग सं०– 133बी० के फोरलेन के चौड़ीकरण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार को निःशुल्क भूमि हस्तान्तरण के संबंध में। — 4. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

6. प्रस्तावित बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण हेतु विभिन्न कोटि के कुल 27 (सत्ताईस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

7. वित्तीय वर्ष 2022–23 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतनादि के भुगतान हेतु केन्द्रांश की राशि कम उपलब्ध होने के कारण राज्य स्कीम मद से सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित राशि ₹45,41,48,00,000/– (पैंतालीस अरब एकतालीस करोड़ अड़तालीस लाख) रूपये की सहायक अनुदान मद में स्वीकृति एवं तत्काल ₹37,74,90,77,100/–(सैंतीस अरब चौहत्तर करोड़ नब्बे लाख सतहत्तर हजार एक सौ) रूपये की व्यय की विमुक्ति। — 7. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

8. डा० (श्रीमती) गोरेती बेक, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बारसोई, कटिहार को दिनांक–05.06.2007 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवाच्यूति करने के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

9. डा० एजाज रसूल अंसारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बांका को दिनांक–20.06.2013 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

10. अपर जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2012 में संशोधन हेतु अपर जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली– 2022 के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

11. बिहार सूचना लिपिक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2010 में संशोधन हेतु बिहार सूचना लिपिक संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली–2022 के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

12. वित्तीय वर्ष 2022–23 में औद्योगिक क्षेत्र, बिहटा, पटना में चिह्नित भूमि पर सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सीपेट) मुख्यालय, चेन्नई के द्वारा Institute of Petrochemical Technology (IPT) की स्थापना के लिए कुल अनुमानित लागत रू० 8433.64 लाख (चौरासी करोड़ तैतीस लाख चौसठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू० 1590.00 लाख (पन्द्रह करोड़ नब्बे लाख) मात्र का सहायक अनुदान की विमुक्ति का प्रस्ताव। — **12.** स्वीकृत।

उद्योग विभाग

13. बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2022 के अनुमोदन के संबंध में। — **13.** स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

14. राज्य में पर्यटकों को आधुनिक सुविधायुक्त आवासन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर 45 वर्ष की लीज के तहत् पाँच सितारा होटल के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति किये जाने के संबंध में। — **14.** स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

15. अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर चिह्नित बालूघाटों की अगले 05 वर्ष के लिए बंदोबस्ती समाहर्त्ता द्वारा ई–नीलामी–सह–निविदा के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — **15.** स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

16. बिहार बालू खनन नीति, 2019 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। — **16.** स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

17. राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में अध्ययनरत पी०जी०, पी०एच०डी० फेलोशीप एवं इन्टर्नस के मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति। — **17.** स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

18.	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबद्धता विनियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के आलोक में राज्य के अनुदानित 599 इन्टरस्तरीय महाविद्यालयों (+2) एवं 16 माध्यमिक विद्यालयों में से 461 इन्टरस्तरीय महाविद्यालयों (+2) एवं 15 माध्यमिक विद्यालयों को संबद्धता के लिए निर्दिष्ट मापदण्ड की पूर्ति एवं संबद्धता प्राप्ति हेतु विभागीय संकल्प संख्या 785 दिनांक 30.12.2020 के अनुसार अन्तिम तिथि दिनांक 31.12.2021 को दिनांक 31.12.2022 तक विस्तारित करने एवं संबद्धता प्राप्त करने के उपरान्त ही इन संस्थानों को शैक्षणिक सत्र 2014–16 से अनुदान की राशि के वितरण की स्वीकृति के संबंध में।	18.	स्वीकृत।